STATESMAN, Bhubaneswar, 13.9.2024
Page No. 2, Size:(24.04)cms X (11.27)cms.

NHRC seeks ATR on Dhenkanal gang-rape case

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 12 SEPTEMBER:

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the civil and police administration of Dhenkanal district to furnish action taken report (ATR) on the alleged gang-rape of a homeless woman for over seven months.

Acting on a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, the top rights panel also transmitted the copy of the petition to the chief secretary and the DGP Odisha for information and action.

The petitioner questioned the efficacy of governance especially at grassroots in Odisha given the fact that the homeless woman was sexually abused for a prolonged period with police doing precious little to protect the woman in time

The petitioner sought for legal action against the errant officials in the entire hierarchy, psycho social counseling to the victim with proper rehabilitation and compensation.

The petition also sought for a direction to the State for a comprehensive survey of the destitute, homeless and mentally ill persons in the entire State to prevent recurrence of such dastardly crimes on women in future.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Indore, 13.9.2024
Page No. 2, Size:(8.51)cms X (14.50)cms.

शिक्षक से मांगा जवाब, मानव अधिकार आयोग से शिकायत

- पूर्व कार्यपरिषद सदस्य ने पत्र लिखकर जताई आपत्ति
- विद्यार्थियों से शोक संदेश लिखवाने के मामले में असंतोष

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : एमबीए की पढ़ाई में असाइनमेंट के रूप में विद्यार्थियों से शोक संदेश लिखवाने का मामला मानव अधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। मामले में शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से की गई है। कुछ विद्यार्थियों के हस्ताक्षर के साथ शिकायती पत्र भेजा गया है। इस बीच यह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं ने भी संबंधित शिक्षक से जवाब मांग लिया है। विवि के अधिकारियों ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

देवी अहिल्या विवि की अध्ययनशालाओं में पढ़ा रहे शिक्षक डा. अतुल भरत ने विद्यार्थियों से अपनी-अपनी तस्वीरों के साथ मृत्यु के बाद दिया जाना वाला शोक व श्रद्धांजलि संदेश लिखकर लाने के लिए कहा था। नईदुनिया ने गुरुवार के अंक में इसका राजफाश किया था। मैनेजमेंट के वरिष्ठ प्रोफेसरों ने इस पर आपत्ति ली। इस बीच विश्वविद्यालय के पूर्व कार्यपरिषद सदस्य और भाजपा नेता आलोक डावर ने भी कुलपति को पत्र लिखा है। डावर ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए विवि को सौंप रहे हैं। शिक्षक उनसे मृत्यु का संदेश लिखवाकर इसे पढ़ाई का नाम दे रहे हैं। विचारणीय है कि किसी युवा से उसकी मौत का संदेश लिखवाया जाएगा तो उसके माता-पिता पर क्या बीतेगी? ऐसा कृत्य करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति भी बदनाम हो रही है। अभिभावक अभिजीत पांडे ने मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजकर विवि पर कार्रवाई करने की मांग की है।

जवाब के बाद कार्रवाई

स्कूल आफ इकोनामिक्स के विभागाध्यक्ष प्रो. कन्हैया आहूजा ने कहा कि संबंधित शिक्षक से प्रकरण पर जवाब मांगा गया है। इसका परीक्षण करने के बाद कार्रवाई का निर्णय होगा। अन्य विभागों के विद्यार्थियों को ऐसा असाइनमेंट दिया गया, वहां भी इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANTA SE RISHTA, Online, 13.9.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Assam : गुवाहाटी उच्च न्यायालय 13 सितंबर को सुनवाई करेगा

https://jantaserishta.com/local/assam/assam-guwahati-high-court-will-hear-on-september-13-3521844

SANTOSI TANDI 12 Sep 2024 3:18 PM

Assam असम : नागांव जिले के धींग पुलिस स्टेशन में तफज्जुल इस्लाम की हिरासत में हुई मौत के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई आज एक खंडपीठ द्वारा की जानी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तारीख 13 सितंबर तय की गई है।याचिका में इस्लाम के परिवार के लिए मुआवजे और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस्लाम की मौत 23 अगस्त को पुलिस हिरासत में हुई थी, जब उसे उस दिन सुबह करीब 5 बजे गश्ती दल ने जबरन उठा लिया था।

याचिका के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: - मौत की न्यायिक जांच की मांग - पुलिस लॉक-अप में शारीरिक यातना के आरोप - आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग - कदाचार के लिए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग याचिका में असम पुलिस अधिनियम के उल्लंघन और हिरासत में हुई मौतों पर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के दिशा-निर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया गया है। इसमें बीएनएसएस 2023 की धारा 196 का भी उल्लेख है, जो हिरासत में हुई मौतों के लिए न्यायिक जांच को अनिवार्य बनाती है।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जुनैद खालिद ने अगली सुनवाई की तारीख की पुष्टि की।यह उल्लेख किया जा सकता है कि नागांव जिले में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम ने जांच के दौरान पास के तालाब में कूदकर पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया था। मामले में शामिल तीसरे व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान होने के बाद व्यापक जांच के बाद इस्लाम को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

Gauhati High Court to hear petition on custodial death of Assam rape accused

https://www.thehindu.com/news/national/gauhati-high-court-to-hear-petition-on-custodial-death-of-assam-rape-accused/article68632838.ece

Police claimed Taffazul Islam drowned while trying to escape from the scene of the incident on August 23

Updated - September 12, 2024 05:44 pm IST - GUWAHATI

GUWAHATI

The Gauhati High Court has fixed September 13 as the date of hearing a petition on the custodial death of an accused in a gang rape case that triggered a backlash against migrant Muslims in some areas of eastern Assam.

The police claimed Taffazul Islam, in handcuffs, drowned while trying to escape from their custody at the scene of the alleged gang rape of a 14-year-old girl at Dhing in central Assam's Nagaon district at 3.30 a.m. on August 23. Islam and two others – Faridul Islam Khan and Golap Uddin, who were arrested later – were accused of raping the minor girl at the spot flanking a pond on August 22.

Abdul Awal of Nagaon district's Barhheti village and the father of Islam filed the petition on September 10 seeking compensation for his custodial death and action against the police officials involved. He alleged that a police patrol party "forcefully picked" his son up at around 5 a.m. on August 23.

"The petition cites violations of the Assam Police Act and non-compliance **with National Human Rights Commission** guidelines on custodial deaths. It also refers to Section 196 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, which mandates judicial inquiries for custodial deaths," the petitioner's counsel Zunaid Khalid said.

Alleging torture of his son in the lock-up at the Dhing police station, the petitioner sought a judicial inquiry into his death and called for a departmental probe against the officials for misconduct apart from the registration of a first information report against them.

"The case was scheduled to be heard by a division bench on September 11 but was rescheduled on September 13," Mr Khalid said.

NHRC seeks ATR on Odisha gang-rape case

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-atr-on-odisha-gang-rape-case-1503342556.html#google_vignette

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the civil authorities and police administration of Odisha's Dhenkanal district to furnish action taken report (ATR) on the alleged gang-rape of a homeless woman for over seven months.

Statesman News Service | Bhubaneswar | September 12, 2024 5:09 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the civil authorities and police administration of Odisha's Dhenkanal district to furnish action taken report (ATR) on the alleged gang-rape of a homeless woman for over seven months.

Acting on a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, the top rights panel also transmitted the copy of the petition on Wednesday to the chief secretary and the Director General of Police of Odisha for information and action.

The petitioner questioned the efficacy of governance especially at grassroots level in Odisha given the fact that the homeless woman was sexually abused for a prolonged period with police doing precious little to protect the woman in time.

The petitioner sought for legal action against the errant officials in the entire hierarchy, psycho social counseling to the victim with proper rehabilitation and compensation.

The petition also sought for a direction to the State for a comprehensive survey of the destitute, homeless and mentally ill persons in the entire State to prevent recurrence of such dastardly crimes on women in future.

STATESMAN, Online, 13.9.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

UP Police challenges Akhilesh s claim on Mangesh Yadav s killing

https://www.thestatesman.com/india/up-police-challenges-akhileshs-claim-on-mangesh-yadavs-killing-1503342569.html

Releasing the CCTV footage of the robbery at Bharat Jewelers in Sultanpur that took place before the encounter, DGP Prashant Kumar said whatever action has been taken by the police has been taken keeping in mind Supreme Court's guidelines.

With the Samajwadi Party and other Opposition parties upping the ante over the death of Mangesh Yadav, Uttar Pradesh police, on Thursday, produced all the evidence to prove that the encounter in which he was killed was genuine.

The encounter took place after a dacoity at a jewelry shop in Sultanpur.

Releasing the CCTV footage of the robbery that took place at Bharat Jewelers in Sultanpur on August 28, DGP Prashant Kumar said whatever action has been taken so far by the police, in this case, has been taken keeping in mind the guidelines of the Supreme Court.

The DGP also released a photo of the CCTV footage showing Mangesh Yadav present at the crime scene along with his accomplices, Aniket, Arbaz, Anuj Pratap Singh, and Furkan.

A total of 15 criminals were involved in the crime with Vipin Singh being their leader.

He accused the Opposition of making misleading statements on the matter devoid of facts.

He said Vipin Singh, a resident of Tiloi, Amethi, was also involved in the robbery of Mukund Jewelers in Lucknow and a jeweler in Gujarat. The police have recovered 1.2 kg of gold in a steel box, looted in the robberies, kept by him in a vacant plot near his house.

ADG (Law and Order) Amitabh Yash challenged the Opposition's claim that Mangesh was at home at the time of the dacoity quoting his family members who accepted that he was not with them. However, SP President Akhilesh Yadav continued to attack the state government accusing the BJP of making the state the capital of fake encounters.

The SP chief claimed on Thursday that Mangesh Yadav was abducted from his home before killing. He said the police officer was in slippers at the encounter.

“False encounters are taking place in UP. Till now, a maximum number of people from the PDA (“pichre” (backward), Dalit and “alpashankhak” (minority) have been killed in the encounter,” he said.

The UP Police, which was the target of Opposition parties after the killing of Mangesh Yadav, who had a reward of Rs 1 lakh on his head, in an encounter was a big success on Wednesday. They arrested four accused at the behest of Vipin Singh and claimed to have recovered 100 per cent of the gold jewelery looted from the bullion shop. The weight of the recovered jewelry is 2 kg 633 grams. A reward of Rs 1 lakh each was placed on the arrested accused. Now, the arrest of six accused, including unknown persons, is pending in this case.

On August 28, in broad daylight, five masked dacoits entered the shop of bullion businessman Bharat Ji Soni in Thatheri Bazaar of Chowk and looted a huge amount of gold and silver jewelry and three lakh rupees at gunpoint. In this case, three miscreants have been arrested in the encounter.

During the encounter, one person was killed by the STF the mastermind, Vipin Singh, had gone to jail after appearing in the Rae Bareli court in an old case. According to the police, a total of 15 people, including an unidentified person, were involved in the incident.

Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC), taking a suo moto cognizance of encounter killing, summoned a report from the district magistrate on the case by September 27. It will hear the case on September 30.

Allahabad High Court advocate Dr. Gajendra Singh Yadav had complained about the matter to the Commission.

On the other, hand Azad Adhikar Sena will celebrate September 13 as Police Killing Protest Day in protest against all the controversial police encounters in the state including the Mangesh Yadav encounter. National President and former IPS Amitabh Thakur has raised questions on such encounters.

देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर UP में नहीं, यहां होते हैं... जानिए कब होती है इसकी मजिस्ट्रियल जांच

https://www.tv9hindi.com/knowledge/police-encounter-death-655-cases-in-india-in-last-5-years-as-per-home-ministry-fake-encounters-questioned-police-2828285.html

Police Encounter Death Cases in India: एनकाउंटर के मामलों में पुलिस पर सवाल उठते रहते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस के खिलाफ शिकायतें दर्ज होती रही हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2022 के बीच पिछले 5 सालों में देश में 655 एनकाउंटर हुए. जानिए देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा एनकाउंटर से मौत के मामले सामने आए, फेक एनकाउंटर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों बनानी पड़ी गाइडलाइन?

अंकित गुप्ता | Updated on: Sep 13, 2024 | 7:30 AM

एनकाउंटर के मामले में अक्सर सवाल उठता है कि क्या वो वाकई में एनकाउंटर था या फिर कुछ और. गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2022 के बीच पिछले 5 सालों में देश में 655 एनकाउंटर हुए. सबसे ज्यादा 191 एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में हुए. दूसरे पायदान पर है उत्तर प्रदेश. यहां पांच साल में 117 मामले सामने आए. ये वो मामले हैं जिनमें मौत हुई है. इसके बाद असम (50), झारखंड (49), ओडिशा (36) और जम्मू-कश्मीर (35) हैं.

बड़े राज्यों में देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट हैं जहां एनकाउंटर में मौत के मामले बेहद कम हैं. राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 13 और पंजाब में 6 मामले सामने सामने आए.

क्यों बनानी पड़ी गाइडलाइन?

एनकाउंटर के मामलों में पुलिस पर सवाल उठते रहते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें दर्ज होती रही हैं. अकेले **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने साल 2000 से लेकर 2017 के बीच फेक एनकाउंटर के 1782 मामले दर्ज किए गए. इसमें 784 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े थे. वहीं, 2015 से 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो फेक एनकाउंटर के मामलों में आंध्र प्रदेश पहले पायदान पर पहुंच गया था. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2014 में 16 बिन्दुओं वाली गाइडलाइन बनाई गई.

सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले (2014) की सुनवाई के बाद बनाई. दरअसल, इस मामले में एक याचिका दाखिल करके मुंबई पुलिस द्वारा किए गए 99 एनकाउंटर की वास्तविकता पर सवाल उठाए गए थे.

एनकाउंटर में मौत होने पर मजिस्ट्रियल जांच क्यों जरूरी?

सुप्रीम कोर्ट की गाइडनलाइन में 16 पॉइंट्स के साथ मजिस्ट्रियल जांच को अनिवार्य किया गया. यह जांच उन मामलों में होती है जब एनकाउंटर में मौत होती है. इसका मकसद फेक एनकाउंटर पर रोक लगाना और ऐसे मामलों का सच सामने लाना था.

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है, अगर एनकाउंटर के किसी मामले में मौत होती है तो मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट का कहना कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र हो. निर्देशों के मुताबिक, मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए. एफआईआर और पंचनामा में देरी नहीं होनी चाहिए.

क्या है एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की 16 पॉइंट वाली गाइडलाइन?

1. **खुफिया जानकारी का रिकॉर्ड:** जब भी पुलिस को किसी गंभीर अपराध या अपराधी से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी या टिप मिलती है, तो उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. ऐसी रिकॉर्डिंग में संदिग्ध व्यक्ति या पार्टी के जाने वाले स्थान का विवरण देना जरूरी नहीं है.

2. **एफआईआर दर्ज करें:** अगर किसी सूचना के आधार पर पुलिस हथियारों का प्रयोग करती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उचित आपराधिक जांच शुरू करने के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और बिना किसी देरी के अदालत को भेजी जानी चाहिए.

3. **स्वतंत्र जांच:** ऐसी मौत की जांच एक स्वतंत्र CID टीम या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में की जानी चाहिए. इसमें आठ न्यूनतम जांच की जरूरतों को पूरा करना होता है, जैसे पीड़ित की पहचान करना, साक्ष्य सामग्री को फिर हासिल करना, उसे संरक्षित करना और घटनास्थल के गवाहों की पहचान करना.

4. **मजिस्ट्रियल जांच:** मुठभेड़ में हुई मौतों के सभी मामलों की अनिवार्य मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए.

5. **NHRC को सूचित करें:** नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) या राज्य मानवाधिकार आयोग को मुठभेड़ में हुई मौत के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए.

6. **चिकित्सा सहायता:** यह सहायता घायल पीड़ित/अपराधी को अवश्य दी जानी चाहिए. मजिस्ट्रेट या चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ उसका बयान दर्ज करना चाहिए.

7. **इसमें देरी कतई नही:** एफआईआर, पंचनामा, स्केच और पुलिस डायरी प्रविष्टियों को बिना किसी देरी के संबंधित न्यायालय को भेजना अनिवार्य है.

8. **रिपोर्ट न्यायालय को भेजें:** घटना की पूरी जांच के बाद, शीघ्र सुनवाई तय करने के लिए न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए.

9. **परिजनों को सूचित करें:** आरोपी अपराधी की मृत्यु के मामले में, उसके निकटतम परिजनों को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए.

10. **रिपोर्ट पेश:** सभी मुठभेड़ हत्याओं का दो साल का विवरण डीजीपी द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक निश्चित तिथि तक NHRC को भेजा जाना चाहिए

11. **त्वरित कार्रवाई:** गलत मुठभेड़ के लिए दोषी पाए गए पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और कुछ समय के लिए उस अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए.

12. **मुआवजा:** पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए मुआवजा योजना को लागू किया जाना चाहिए.

13. **हथियार जमा करने होंगे:** संबंधित पुलिस अधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत उल्लिखित अधिकारों के अधीन, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए अपने हथियार जमा कराने होंगे.

14. **कानूनी सहायता:** घटना के बारे में सूचना आरोपी पुलिस अधिकारी के परिवार को भेजी जानी चाहिए. वकील/परामर्शदाता की सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए.

15. **तत्काल पदोन्नति या पुरस्कार नहीं:** मुठभेड़ में हुई हत्याओं में शामिल अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद कोई बिना बारी की पदोन्नति या तत्काल वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाएगा.

16. **शिकायत निवारण:** यदि पीड़ित के परिवार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है, तो वहर सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायत कर सकता है. संबंधित सत्र न्यायाधीश को शिकायत पर गौर करना चाहिए और उसमें उठाई गई शिकायतों का समाधान करना चाहिए.

वीडियो में देखें भारत के भूतपूर्व 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र की पुण्यतिथि पर जानें इनका जीवन परिचय

https://samacharnama.com/todays-significance/death/cid15336185.htm

रंगनाथ मिश्र (अंग्रेज़ी: Ranganath Misra, जन्म- 25 नवम्बर, 1926; मृत्यु- 13 सितम्बर, 2012) भारत के भूतपूर्व 21वें मुख्य न्यायाधीश रहे थ....

By RamBabu SharmaSep 13, 2024, 07:39 IST

रंगनाथ मिश्र (अंग्रेज़ी: Ranganath Misra, जन्म- 25 नवम्बर, 1926; मृत्यु- 13 सितम्बर, 2012) भारत के भूतपूर्व 21वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। वह 26 सितम्बर, 1990 से 24 नवम्बर, 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे। वह भारत के **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के पहले अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1998 और 2004 के बीच कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। रंगनाथ मिश्र, बहरुल इस्लाम के बाद राज्यसभा सदस्य बनने वाले सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुना गया था।

रंगनाथ मिश्र का जन्म 25 नवम्बर, 1926 को बानपुर, ओडिशा में एक ओडिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोदावारिस मिश्रा था। पिता एक ओडिया साहित्यिक और कांग्रेस के राजनेता थे। पिता की तीन संतान थीं, जिनमें रंगनाथ मिश्र तीन बेटों में सबसे छोटे थे। इनके सबसे बड़े भाई लोकनाथ मिश्रा, जनता पार्टी से संबंधित एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। दूसरे भाई रघुनाथ मिश्रा कांग्रेस पार्टी से संबंधित राजनीतिज्ञ थे।[1]

रंगनाथ मिश्र ने बानपुर हाई स्कूल से पढ़ाई की और पी. एम. अकादमी और बाद में रेनशॉ कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया।

18 सितंबर 1950 को रंगनाथ मिश्र को उड़ीसा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। कटक जहां उन्होंने 1969 तक कानून का अभ्यास किया, उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 6 नवंबर 1980 से 16 जनवरी 1981 तक उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 16 जनवरी 1981 से उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

रंगनाथ मिश्र सन 1983 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये गये। वह 26 सितंबर, 1990 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और 24 नवंबर 1991 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने वर्ष 1992 में ऑल इंडिया बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के चीफ स्काउट के रूप में भी सेवा की। रंगनाथ मिश्र न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जांच आयोग के एकमात्र सदस्य थे, एक आयोग जिसने 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों की जांच का नेतृत्व किया और एक रिपोर्ट तैयार की। वे 1998-2004 के बीच कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य भी रहे।[1]

रंगनाथ मिश्र का निधन 13 सितंबर, 2012 (आयु 85 वर्ष) को भुवनेश्वर, ओडिशा में एक लम्बी बीमारी के कारण भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में हुआ।

ROAMING EXPRESS, Online, 13.9.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सुलतानपुर एनकाउंटर में एसएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

https://roamingexpress.com/90902

Roaming Express Follow on Twitter1 hour ago

सुलतानपुर जिले के चर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर मामले का राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने सुलतानपुर के डीएम को जांच कर 27 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। इस शिकायत में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए थे। एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था और कहा गया था कि पुलिस ने सिर्फ वाहवाही पाने के लिए गलत तरीके से एनकाउंटर किया था।

JAGRAN, Online, 13.9.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सुलतानपुर लूटकांड में 4 डकैत गिरफ्तार, 2.5KG से ज्यादा सोना बरामद; CCTV फुटेज में खुलासा- महीनों से चल रही थी रेकी

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/sultanpur-cctv-footage-of-sultanpur-bharat-jewelers-robbery-released-dgp-names-mastermind-23795695.html

https://dastakbharatnews.com/sultanpur-jewellery-loot-case-resolved-by-sultanpur-police-news/

सुलतानपुर में भरत ज्वैलर्स के यहां हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने लूट के मास्टरमाइंड का नाम भी क्लियर कर दिया है। अमेठी के तिलोई का रहने वाला विपिन सिंह मास्टरमाइंड है जो पहले भी कई लूट की वारदातों में शामिल रहा है। लूटा गया सोना भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।

By **Jagran News**Edited By: **Aysha Sheikh**Updated: Thu, 12 Sep 2024 03:22 PM (IST)

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुलतानपुर में भरत ज्वैलर्स के यहां 28 अगस्त को हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से जितनी भी कार्रवाई की गई है वह उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर की गई है। विपक्ष इस मामले में भ्रामक व तथ्यहीन बयानबाजी कर रहा है।

उन्होंने बताया कि इस लूट कांड का मास्टरमाइंड अमेठी के तिलोई का निवासी विपिन सिंह है। कुछ समय पहले लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स तथा गुजरात में एक ज्वेलर के यहां हुई लूट में भी विपिन सिंह शामिल था। लूटा गया 1.2 किलो सोना विपिन ने अपने घर के पास स्थित एक खाली भूखंड में स्टील के बक्से में रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।

विपिन ने उगले राज तो सरकार व पुलिस की बची लाज

एक लाख के इनामी मंगेश यादव के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद विपक्षी दलों के निशाने पर रही पुलिस को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। उसने रिमांड पर लिए गए मास्टरमाइंड विपिन सिंह की निशानदेही पर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर सर्राफ की दुकान से लूटे गए सोने के शत-प्रतिशत आभूषण बरामद कर लेने का दावा किया है। बरामद आभूषणों का वजन दो किलो 633 ग्राम है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों पर एक-एक लाख का इनाम रखा गया था। अब इस मामले में अज्ञात समेत छह आरोपितों की गिरफ्तारी शेष है।

28 अगस्त को चौक के ठठेरी बाजार में सराफा व्यवसायी भरत जी सोनी की दुकान में दिन-दहाड़े घुसकर पांच नकाबपोश डकैत असलहे के बल पर भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण व तीन लाख रुपये लूट ले गए गए थे। इस मामले में तीन बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं, एक को एसटीएफ ने

मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि मास्टर माइंड विपिन सिंह पुराने मामले में रायबरेली न्यायालय में हाजिर होकर जेल चला गया था। पुलिस के मुताबिक घटना में एक अज्ञात समेत कुल 15 लोग संलिप्त थे।

आजमगढ़ से अमेठी तक कनेक्शन, बोलेरो व असलहे समेत गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने शाम पत्रकारों व पीड़ित के सामने बरामद आभूषण प्रस्तुत करते हुए बताया की अपराह्न ढाई बजे के करीब दूबेपुर मोड़ के पास संदिग्ध बोलेरो को पकड़ा गया। इसमें बैठे लोगों की पहचान रायबरेली के नयापुरवा के दुर्गेश प्रताप सिंह, आजमगढ़ के फूलपुर थाने के चमराडीह के अरविंद यादव उर्फ फौजी, अमेठी के मोहनगंज थाने के विनय शुक्ल तथा भवानीनगर के विवेक सिंह के रूप में हुई।

ये सभी डकैती में वांछित एक लाख के इनामी हैं। दुर्गेश के पास से 259 ग्राम सोना, एक तमंचा व दो कारतूस, विनय के कब्जे से 347 ग्राम सोना, तमंचा व कारतूस, अरविंद यादव के पास से 299 ग्राम सोना, एक पिस्टल व तीन कारतूस तथा विवेक के पास से 510 ग्राम सोना, एक तमंचा व दो कारतूस बरामद हुआ।

वहीं, विपिन सिंह के आवास रायबरेली के कटपुरवा के सामने खेत में दबाए गए स्टील के डिब्बे से एक किलो 218 ग्राम सोने के आभूषण अलग से बरामद किए गए। अभी तक इस प्रकरण में 45,700 रुपये, 20 किलो चांदी व दो किलो 633 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हो चुके हैं।

आरोपितों का आपराधिक इतिहास : दुर्गेश पर सराफा डकैती का एक मुकदमा दर्ज है। वहीं, अन्य तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। विनय शुक्ल पर अमेठी के विभिन्न थानों में 10 केस पहले से दर्ज हैं। अरविंद यादव पर सुलतानपुर, रायबरेली, आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर व सुलतानपुर में 24 मुकदमे दर्ज हैं। विवेक सिंह पर हरियाणा व दिल्ली में एक-एक मामला दर्ज था।

टीम में यह रहे शामिल : चारों आरोपितों को पकड़ने में कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार द्विवेदी, स्वाट टीम प्रभारी धीरेंद्र कुमार वर्मा, उप निरीक्षक मुकेश कुमार, शिवानंद यादव, हरेंद्र सिंह, गुड्डू राम, अनिल कुमार यादव, हरिश्चंद्र, हेड कांस्टेबल अभिषेक मिश्र, संतोष सिंह, समरजीत सिंह, अमित मिश्र, कांस्टेबल शैलेश राजभर, श्याम सुंदर, प्रमोद यादव, ऋतिक दीक्षित, दुर्गा दीक्षित शामिल रहे।

पीड़ित व्यापारी ने कार्रवाई पर जताया संतोष

पत्रकार वार्ता में पीड़ित व्यवसायी भरत जी सोनी व उनके पुत्र सुमित सेठ तथा अन्य व्यापारी नेता भी मौजूद रहे। सोनी ने बताया की डकैती में एक करोड़ 35 लाख के सोने-चांदी के आभूषण व तीन लाख रुपये गए थे। अब तक पुलिस की कार्रवाई में 95 प्रतिशत से अधिक माल बरामद हो चुका है।

अब थोड़ी चांदी की बरामदगी शेष है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए घटना के सफल अनावरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया। कहा कि इससे पुलिस का इकबाल

बुलंद हुआ है। पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने कहा कि यह हमारी टीम की कुशलता व व्यापारियों के सहयोग से संभव हो सका है।

ये आरोपित पुलिस पकड़ से दूर

अमेठी के मोहनगंज के जनापुर के अनुज प्रताप सिंह, आशापुर रूरू के अरबाज, पूरे चन्दई चिलौली के फुरकान उर्फ गुज्जर, जौनपुर के सिंगरामऊ के लारपुर के अजय यादव उर्फ डीएम, प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा हरिपुरा के अंकित यादव उर्फ शेखर व एक अज्ञात की पुलिस डकैती प्रकरण में तलाश कर रही है। इन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम है।

आज रिमांड अवधि पूरी

सरगना विपिन सिंह को सीजेएम ने पांच दिन की रिमांड पर विवेचक को सौंपा था। रिमांड अवधि 12 सितंबर को पांच बजे पूरी होगी और उसे नियत समय तक रायबरेली जिला कारागार में दाखिल किया जाएगा। कोतवाल तीन पुलिस टीमों के साथ उसे रिमांड पर लेकर घटना के राजफाश में जुटे थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त

एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए जौनपुर के मंगेश यादव प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त कदम उठाया है। उसने जिलाधिकारी से 27 सितंबर तक रिपोर्ट तलब की है। आयोग 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता डा. गजेंद्र सिंह यादव ने मामले की शिकायत आयोग में की थी।

मनेगा पुलिस हत्या विरोध दिवस

मंगेश यादव मुठभेड़ सहित प्रदेश में पुलिस के तमाम विवादित मुठभेड़ों के विरोध में आजाद अधिकार सेना 13 सितंबर को पुलिस हत्या विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस तरह के मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए सवालिया निशान लगाए हैं।

सुल्तानपुर डकैती कांड: मंगेश यादव एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल

https://www.tv9hindi.com/state/uttar-pradesh/sultanpur-robbery-case-magistrate-inquiry-done-on-mangesh-yadav-encounter-akhilesh-yadav-had-raised-questions-stwma-2819908.html

सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. इस केस में एक आरोपी मंगेश यादव का पुलिस एनकाउंटर हुआ है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं. अब इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी.

TV9 Bharatvarsh | Updated on: Sep 11, 2024 | 6:30 AM

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के ज्वैलर्स डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी. सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं. लभुआ के एसडीएम विदुषी सिंह को इस मामले के जांच की जम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने इस पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में केस दर्ज कराया है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं.

बीती 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर की ॐ आर्नामेंट ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिता था. दोपहर करीब 12 बजे दो बाइको पर आए 5 बदमाशों ने गन प्वाइंट पर शॉप से 1 करोड़ 40 लाख कीमत के जेवर व नगदी लूट कर ले गए थे. सभी बदमाशों ने अपना मुंह ढका हुआ था. लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वह बाइको से नेशनल सिनेमा रोड से होकर भगा गए. बाद में सभी बदमाश बोलेरो गाड़ी में सवार होकर रायबरेली चले गए.

लूट की घटना में 12 बदमाश थे शामिल

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. जांच पड़ताल में लूट की घटनाओं में 12 बदमाश शामिल पाए गए. पुलिस ने सभी बदमाशों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया. गिरोह के मुख्य सरगना विपिन सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था. वहीं, एक आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया.

इन बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम

ज्वेलरी की दुकान में डकैती डालने वाले 12 में से 9 बदमाश अमेठी के बताए जा रहे हैं. इनमें पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन, सचिन सिंह, विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश सिंह, फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव शामिल थे. इनमें से फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव ने शॉप में डकैती की घटना को अंजाम दिया था. वहीं बाकी अन्य बदमाश इन्हें बैकअप दे रहे थे. बोलेरो गाड़ी का इंतजाम भी इनके द्वारा किया गया था.

TV9HINDI, Online, 13.9.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि मंगेश की यादव जाति की वजह से एनकाउंटर में मारा गया है. वहीं, मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है. उनका कहना है कि जब डकैती का मुख्य सरगना आत्मसमर्पण कर चुका था तो सह-आरोपी मंगेश यादव भी आत्मसमर्पण कर सकता था. उनका कहना है कि मंगेश पर कोई बड़ा आपराधिक मामला दर्ज नहीं था और न ही वो आदतन अपराधी था.